

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./45/2021/बाड़मेर

अपीलांतरा

रेस्पोंडेंटगण

| | |
|--|--|
| गेनाराम पुत्र खरथाराम जाति जाट निवासी गरल तहसील व जिला बाड़मेर | 1. भलाराम पुत्र खरथाराम 2. गंगाराम पुत्र खरथाराम जाति जाट निवासी गरल तहसील व जिला बाड़मेर 3. श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ वडोदा, शाखा गांधी चौक, बाड़मेर |
|--|--|

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2006 बअनवान भलाराम बनाम गंगाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2006 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री वीरमाराम चौधरी अपीलान्त की ओर से।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 02 स्वयं उपस्थित।


निर्णय

दिनांक:- 18.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गरल तहसील बाड़मेर में खसरा नम्बर 194, 194/1, 195, 196 रकबा क्रमशः 20.12 बीघा, 38 बीघा, 0.07 बीघा व 91.02 बीघा कुल रकबा 150.01 बीघा आये हुए है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांत अधिवक्ता एवं उत्तरदाता संख्या 02 की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत प्रस्तावित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह वंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या 02 स्वयं ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसमें अपीलांटस की ढाणी के कब्जे को लेकर विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि हाल ही में विप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र का आवास खसरा संख्या 196 में बनना निश्चित हुआ तब उसने खेत की पैमाईश कराई तो पाया कि विभाजन की डिक्री से प्रार्थी की ढाणी विप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में आई है तब विभाजन से संबंधित निर्णय व डिक्री की जानकारी प्राप्त कर प्रामाणित प्रतियों हेतु आवेदन कर दिनांक 20.07.2021 को नकल प्राप्त की तब विभाजन की डिक्री का ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर गियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का


गजेंद्र सिंह
अपील प्राधिकारी
बाड़मेर


धारा 05 का प्रार्थना-पत्र अपीलांटस द्वारा पेश शपथ-पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2006 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सवूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2006 बअनवान भलाराम बनाम गंगाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2006 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.07.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।


(प्रतिष्ठाप्राधिकारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर